माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा वर्ष 2020 हेतु शुल्क जमा कराने संबंधी दिशा–निर्देश

क्रमांक:सैल–8/2020/ 29

दिनांक : 06.08.2020

वर्ष 2020 की पूरक परीक्षा के लिये ऑनलाईन शुल्क जमा कराने की तिथियां निम्नानुसार है :–

परीक्षा शुल्क का प्रकार	परीक्षार्थियों द्वारा शाला में शुल्क जमा कराने तथा शालाओं द्वारा चालान मुद्रण करने की अन्तिम तिथि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	शाला द्वारा बैंक रसीद एवं अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	शुक्रवार 14 अगस्त, 2020	17 अगस्त, 2020	25 अगस्त, 2020
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	मंगलवार 18 अगस्त, 2020	21 अगस्त, 2020	
3. असाधारण विलम्ब शुल्क रूपये 1500/– तथा परीक्षा शुल्क सहित	परीक्षा प्रारम्भ होने तक (शुल्क केवल पूरक परीक्षा केन्द्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा।)		
	पूरक परीक्षा 2020 की तिथियां		
पूरक परीक्षा (प्रायोगिक)	गुरूवार 20 अगस्त, 2020		
पूरक परीक्षा (सैद्धान्तिक)	गुरूवार 03 सितम्बर 2020 से		

परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिये 600/– तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये 650/– निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रू. 100/– प्रति विषय पृथक से देना होगा। विद्यालय एवं परीक्षार्थी मूल अंकतालिकाओं का इन्तजार नहीं करें तथा पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र करें। विशेष योग्यजन (दिव्यांग) परीक्षार्थियों के लिये टोकन शुल्क 50/– रू. देय होगा।

01. सभी विद्यालयों को पूरक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य है। नियमित परीक्षार्थियों का पूरक परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यालय तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का शुल्क उनके मुख्य परीक्षा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन जमा कराना होगा। पूरक परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेगें। असाधारण विलम्ब शुल्क रू. 1500/– एवं एक परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संबंधित पूरक परीक्षा के केन्द्र पर जमा करवाकर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।
02. विद्यालयों द्वारा पूरक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराने की व्यवस्था :– बोर्ड की वेबसाईट **http://rajeduboard.rajasthan.gov.in** पर **login** करके पूरक परीक्षा 2020 के लिंक पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् शाला का नाम तथा उनके पूरक परीक्षा योग्य समस्त परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम, इत्यादि सूचना प्रदर्शित होगी। शाला द्वारा जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा कराना है इनके नामांक के समक्ष सही का चिन्ह (√) पर क्लिक करें तत्पश्चात् बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में किसी भी एक बैंक का चयन करें तथा शाला द्वारा शुल्क जमा कराये जाने वाले परीक्षार्थियों की सूची व चयनित बैंक का परीक्षा शुल्क का चालान मुद्रित करना होगा। परीक्षार्थियों की मुद्रित सूची व चालान बैंक में प्रस्तुत कर परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराऐ। शेष रहे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहते अथवा जिनका पूरक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया है, नामावली **(NOMINAL ROLL)** में उनके नामांक के समक्ष स्वतः ही **NAP (NOT APPLIED)** मुद्रित हो जायेगा ऐसे परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के केन्द्र पर असाधारण विलम्ब शुल्क एवं एक परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर पूरक परीक्षा में बैठ सकेगें। **OnlineChalan** मुद्रण दिनांक से निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क की राशि बैंक में जमा करायी जा सकेगी। चालान में शुल्क जमा कराने की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि मुद्रित होगी, इस अवधि में ही बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा रू. 12/– प्रति चालान कमीशन चार्ज किया जायेगा।
03. परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना :–परीक्षा शुल्क का चालान 4 पर्ण एवं प्रतिपर्ण में मय शुल्क विवरण व अग्रेषण सूची भी दो प्रतियों में मुद्रित की जानी है। चालान व अग्रेषण सूची की एक–एक प्रतियाँ एवं परीक्षा शुल्क निर्धारित अवधि में बैंक में नकद जमा कराना है। करने के पश्चात् अग्रेषण सूची की एक प्रति तथा चालान फार्म की 3 प्रतियाँ सील लगाकर बैंक द्वारा वापस लौटा दी जायेगी, जिस पर **Transaction No.** भी अंकित किया जायेगा।
04. एक से अधिक बार ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु :– पुनः क्रम संख्या 2 से 3 तक की प्रक्रिया अपनावें।
05. शाला द्वारा बैंक में जमा किये शुल्क के चालान की विद्यालय प्रति एवं अग्रेषण की एक प्रति स्वंय के पास सुरक्षित रखी जाये तथा परीक्षार्थियों की दूसरी सूची एवं शुल्क जमा चालान की दो प्रतियां बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट से अनिवार्यतः भेजें। अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के नियत्रंण कक्ष के दूरभाष कमांक 0145–2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क करें।

–:: विशेष निर्देश ::– जिन परीक्षार्थियों को कोविड–19 के कारण पूरक परीक्षा में अवसर प्रदान किया है उन्हे पूरक परीक्षा में परीक्षा शुल्क से मुक्ति प्रदान की जाती है। ऐसे परीक्षार्थियों जो आकस्मिक दुर्घटना, लॉकडाउन अवधि में जिला/प्रदेश से बाहर होने के कारण परीक्षा में प्रविष्ट नही हुए है उन्हे मुख्य परीक्षा के नामांक से पूरक परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाती है तथा उन्हे भी शुल्क से मुक्ति प्रदान की जाती है।

सचिव